कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (म.प्र.)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक/डीटीपीसी/114 /2017 शिवपुरी दिनांक18/11/2017

// निविदा सूचना //

एतद् द्वारा इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मो को सूचित किया जाता है कि जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वाटर शो, पार्किग सहित), छंत्री रोड, शिवपुरी को 03 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है। कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मो से दिनांक 27.11.2017 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.11.2017 तक कार्यालयीन समय सांय: 5.00 बजे तक रूपये 2000/- डी.डी. के माध्यम से जमा कर जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद, शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते है। स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद, शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 27.11.2017 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सांय: 4.00 बजे खोली जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1	2	3	4	5
1	भदैयाकुण्ड (सिंगल गेट प्रवेश, वाटर शो, पार्किग सहित) शिवपुरी को 03 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण कार्य	5,000/-	1,00,000/-	7 दिवस

नोट- भदैयाकुण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्मो को निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपना कंसेप्ट प्लान प्रस्तुत करना होगा। जिसका कंसेप्ट प्लान डीटीपीसी द्वारा सर्वमान्य किया जायेगा उसी के वित्तीय ऑफर खोले जावेगे।

आवश्यक शर्ते :-

1. **भदैयाकुण्ड संचालन एवं संधारण हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 1.00 लाख (एक लाख) रूपये डीटीपीसी के नाम जमा कराना होगें, जो ठेके के सफलतापूर्वक संचालन पूर्ण होने की स्थिति में 3 वर्ष 6 माह बाद ब्याज रहित वापिस क्रिये जायेगें।**
2. किराये की राशि मासिक जमा की जाना होगी। मास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा। नियत अवधि में किराया जमा ना करने की दशा में बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। विलम्ब 90 दिवस से अधिक होने पर 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
3. किन्ही भी कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा। ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नही होगा।
4. किन्ही कारणों में अनुबंध निरस्ती की दशा में या कार्य अवधि पूर्ण होने की स्थिति में संचालनकर्ता को भदैयाकुण्ड एवं पार्किग क्षेत्र तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा अन्यथा की स्थिति में 1000/- प्रतिदिवस के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
5. संचालनकर्ता को विद्युत व्यय स्वयं वहन करना होगा। प्रकाश, सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रायवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना होंगे, चारो ओर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित करना होंगे।